



नीलामी सूचना (सं 4/16-17)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अनु.प. का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डू, राँची में स्थित निम्नांकित पुराने निष्प्रयोजित वाहनों की नीलामी 'जो है, जहाँ है', के आधार पर दिनांक 23.06.2016 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में अनुसंधान केन्द्र, प्लान्डू, राँची में उच्चतम डाकबोली के आधार पर की जायगी।

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन प्रकार	मोडल
1	BR 14 P 2013	Tata Sumo	1999
2	BPY 7097	Bullet Motor Cycle	1988

विस्तृत नीलामी सूचना एवं शर्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं संस्थान के वेबसाइट www.icarrcer.res.in पर दिनांक 10.06.2016 से देखी जा सकती है। एवं वाहनों का अवलोकन प्रक्षेत्र प्रभारी से मिलकर दिनांक 10.06.2016 से 22.06.2016 तक की जा सकती है।

Handwritten signature
8.6.16

प्र. सहायक प्रशासनिक अधिकारी



नीलामी सूचना (सं 4/16-17)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ. अनु.प. का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लाण्डु, राँची में स्थित निम्नांकित पुराने निष्प्रयोजित वाहनों की नीलामी 'जो है, जहाँ है', के आधार पर दिनांक 23.06.2016 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में अनुसंधान केन्द्र, प्लाण्डु, राँची में उच्चतम डाकबोली के आधार पर की जायगी।

क्र0सं0	वाहन संख्या	वाहन प्रकार	न्यूनतम विक्रय मूल्य (राशि रू0 में)	मॉडल
1	BR 14 P 2013	Tata Sumo	65,000.00	1999
2	BPY 7097	Bullet Motor Cycle	13,000.00	1988

नीलामी के आवश्यक शर्त निम्न प्रकार है :-

- नीलामी का आधार 'वाहन जो जहाँ है, जैसा है', होगा। भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन की स्थिति या वाहन का कागजात जिस स्थिति में होगा, उसी स्थिति में देय होगा। उसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा।
- नीलामी के पूर्व डाकवक्ता के लिए वाहन संख्या BPY 7097 के लिए 1400/- (चौदह सौ रुपये मात्र) एवं BR 14 P 2013 के लिए 6000/- (छः हजार रुपये मात्र) मात्र अग्रधन राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो **Head, ICAR-RCER, RC, Ranchi** प्लाण्डु, राँची के पदनाम से देय होगा, दिनांक 22.06.2016 तक कार्यालय अवधि में प्लाण्डू, राँची में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नीलामी में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे। नकद राशि किसी भी परिस्थिति में जमा नहीं की जायगी। डाक (अधिकतम बोली लगाने वाले) में सफल होने पर अग्रधन राशि वाहन के मूल्य में समायेजित कर ली जायगी। असफल डाकवक्ताओं को प्रतिभूति की राशि नीलामी के तुरंत बाद वापस कर दी जायगी।
- अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये नीलामी को स्थगित/संशोधित या रद्द कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है।
- उच्चतम डाकवक्ता को नीलामी राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि उसी समय जमा करना अनिवार्य होगा। बाकी राशि दो दिनों के अंदर जमा करने के उपरान्त वाहन को ले जाने की अनुमति देय होगा। राशि नहीं जमा करने पर अग्रधन एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। वाहन की सुरक्षा सफल निविदाकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र (वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/बैंक एकाउंट) की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ राशि जमा करते समय उपलब्ध कराना होगा तथा नीलामी के प्रक्रिया के दौरान उक्त पहचान पत्र मूल रूप में साथ रखना होगा अन्यथा नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
- नीलामी की प्रक्रिया गठित समिति के समक्ष की जाएगी। कोई विवाद होने पर समिति/प्रधान/निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के लिए भा0कृ0अनु0प0 का अनुसंधान परिसर, पटना का फैसला अंतिम एवं मान्य होगा।
- नीलामी पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अनु.प. का अनुसंधान परिसर, अनुसंधान केन्द्र, प्लाण्डु, राँची में की जायगी।
- नीलामी में इस केन्द्र के कोई भी अधिकारी/पदाधिकारी भाग नहीं ले सकते हैं।

Y. Adnan
08-06-2016

प्र. सहायक प्रशासन अधिकारी